अध्याय 2

सहकारी समितियों का निबन्धन

धारा-3. निबन्धक- (1) राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी समितियों का निबन्धक नियुक्त कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निबन्धक की सहायता देने के लिए अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकती है और सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को निबन्धक के सभी अथवा कोई अधिकार प्रदान कर सकती है।

1[(3) जहॅा इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निबन्धक के सभी या कोई अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए उपधारा (2) के अधीन कोई ओदश दिया गया हो, वहॅा ऐसे आदेश द्वारा उस व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उस उपबन्ध के अधीन सभी अधिकार प्रदत्त समझा जायेगा।)